

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं०सं०-8/ज०सं०(नि०) ग्रा० - 08-17/2014/राँची, दिनांक -

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री चन्द्रेश्वर राय, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता ने जबकि वे सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री चन्द्रेश्वर राय, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43B के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2- श्री चन्द्रेश्वर राय, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3- उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव/विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ :-

श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया, जिला-पाकुड़, / श्री चन्द्रेश्वर राय, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुग्रहित प्रसाद साहा, अन्नपूर्णा कॉलोनी, पाकुड़, पो०-पाकुड़, जिला-पाकुड़, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०।-

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव(नि०)।

क०पृ०उ०